संख्या-101/2016/1105 जेएल/22-3-16-800(315)/2012

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
हरदोई।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 18 मार्च, 2016***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी नरेश पासी पुत्र श्री हिम्मा, निवासी-ग्राम-टिकरा, थाना-कोतवाली देहात, जिला-हरदोई को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी नरेश पासी पुत्र श्री हिम्मा, निवासी-ग्राम-टिकरा, थाना-कोतवाली देहात, जिला-हरदोई को शासनादेश संख्या-2/2016/3970जेएल/22-3-15-800(315)/2012, दिनांक 01-01-2016 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-101/2016/1105 जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, हरदोई।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in